राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2460/2024

रमन लाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा, कोटा संभाग।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.08.2024
आदेश की दिनांक : 02.08.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी आदेश दिनांक 28.07.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दे रहा है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग अवैध रूप से वरिष्ठ सहायक के पद पर अपीलार्थी की पदोन्नति को छोड़ देंगे यदि अपीलार्थी ने दिनांक 08.08.2024 तक पदोन्नति वाले पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया, लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को दूरस्थ स्थान पर पदोन्नति पर पर नियुक्ति की गई, जबकि समान पद पर नियुक्त कर्मचारियों को उसी स्थान पर नियुक्त किया गया, जहां वे पदोन्नति से पहले नियुक्त थे। प्रत्यर्थी विभाग ने आलौच्य आदेश में अवैध शर्त रखी है, जो कानून के स्थापित सिद्धांत के विरुद्ध है। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 160 में पर है, जिसके अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बसोली, बूंदी से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, संगरिया, झालावाड़ में स्थानांतरित किया गया। अपीलार्थी वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है और उसे दिनांक 12.06.2024 के आदेश के द्वारा वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसके तहत उसे पहले की

नियुक्ति के स्थान पर नियुक्त किया गया, जहाँ वह कनिष्ठ सहायक के रूप में तैनात था, अर्थात राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बसोली, बूंदी, जिसके अनुसार अपीलार्थी ने दिनांक 13.06.2024 को उसी स्थान पर अपनी नियुक्ति प्रस्तुत की और दिनांक 13.06.2024 को ही अपनी पिछली नियुक्ति के स्थान पर वरिष्ठ सहायक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। (अनुलग्नक–2) तत्पश्चात दिनांक 25.06.2024 के आदेश द्वारा अपीलार्थी का वेतन निर्धारण भी उसके स्थान पर कर दिया गया। अपीलकर्ता की नियुक्ति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बसोली, हिंडोली, बूंदी में हुई थी और तब से वह पूरी संतुष्टि के साथ उसी स्थान पर सेवाएं दे रहा है। (अनुलग्नक–3)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 28.07.2024 (अनुलग्नक 1) को निरस्त करने के प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देशित किया जावें कि अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पदोन्नत पद पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बसोली, हिंडोली, बूंदी, में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2024 की अनुपालन में नियुक्ति दी जावे, जहां अपीलार्थी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त था। साथ ही कार्यभार ग्रहण करने में विफलता के कारण स्वचालित रूप से पदोन्नति छोड़ने के संबंध में आदेश दिनांक 28.04.2024 को निरस्त किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी छः सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना

अपीलार्थी को दे। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतनराम देवड़ा)
सदस्य